



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 63/2026

1. Smt. Kamla Wife Of Late Shri Lila, Aged About 63 Years, Resident Of Village Sumel, Tehsil Malakheda, Distt. Alwar (Rajasthan).
2. Phool Singh Son Of Late Shri Lila, Aged About 34 Years, Resident Of Village Sumel, Tehsil Malakheda, Distt. Alwar (Rajasthan).
3. Balveer, Son Of Late Shri Lila, Aged About 36 Years, Resident Of Village Sumel, Tehsil Malakheda, Distt. Alwar (Rajasthan).

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Ramphal Mp, Son Of Shri Sunder Lal, Aged About 46 Years, Resident Of Patel Niwas, Delhi Road, Belaka, Police Station Arawali Vihar, Alwar (Rajasthan).

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. D. S. Bagadia, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP Mr. Kartar Singh, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

23/04/2026

1. याची-अभियुक्तगण की ओर से यह याचिका अंतर्गत धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत परिवादी-प्रत्यर्थी की ओर से पुलिस थाना-अरावली विहार, जिला-अलवर में पंजीबद्ध करवायी गयी प्रथम सूचना

रिपोर्ट संख्या-512/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2), 61(2) बी.एन.एस. को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2. विद्वान अधिवक्ता याची-अभियुक्तगण का निवेदन है कि मामला पूर्णतः सिविल प्रकृति का है, अनावश्यक रूप से दबाव बनाने के लिए आपराधिक रंग दिया गया है, जो कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इस आधार पर वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता परिवादी/अयाची का निवेदन है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के पक्ष में विक्रय अनुबंध की पालना नहीं की गई है तथा अभियुक्त बलवीर द्वारा अपने हिस्से की भूमि किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने का अनुबंध किया गया है, इस प्रकार मामला धोखाधड़ी का है।

5. अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि तीनों याची-अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 10.04.2024 को परिवादी के पक्ष में अपनी भूमि का विक्रय करना तय कर विक्रय अनुबंध निष्पादित किया, परिवादी द्वारा आंशिक प्रतिफल राशि भी प्राप्त करी लेकिन कालांतर में उसकी पालना किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई। परिवादी का यह आरोप है कि अभियुक्त बलवीर द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विक्रय अनुबंध किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर दिया, इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता याची-अभियुक्तगण का निवेदन है कि वह अनुबंध निरस्त किया जा चुका है।

6. उपरोक्त तथ्यों के अनुसार स्पष्ट है कि यह मामला विक्रय अनुबंध के अपालन से संबंधित होकर पूर्णतः व शुद्धतः सिविल प्रकृति का है, जिसे अनावश्यक रूप से दबाव बनाने के लिए आपराधिक रंग दिया गया है, जो स्पष्टतः कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

7. संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए याची-अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार कर याची-अभियुक्तगण के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना

रिपोर्ट संख्या-512/2025 पुलिस थाना-अरावली विहार, जिला-अलवर को निरस्त किया जाता है तथा उसके आधार पर संस्थित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को भी निरस्त व अपास्त किया जाता है।

संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /17